UPAG050021922016

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)/त्वरित न्यायालय, आगरा।
उपस्थितः हर्षिता सिंह–प्रथम, उ0प्र0 न्यायिक सेवा (J.O.Code UP3310)

सिविल सूट संख्या– 230/2016

श्रीमती विमला देवी बनाम श्री रामवीर सिंह आदि

दिनांक 12.08.2026

अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 12ग का निस्तारण

1. पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश प्रार्थनापत्र 12ग व आपत्ति 22ग हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र 12ग एवं आपत्ति 22ग पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

2. वादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र 12ग मय शपथपत्र 13ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी ग्राम अगवार, पोस्ट अगवार, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा का निवासी है और यह मुकदमा उक्त ग्राम के सभी व्यक्तियों के हित में वाद संपत्ति के संबंध में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसा कि वादपत्र के अंत में विस्तृत रूप से बताया गया है, जो ग्राम अगवार, पोस्ट अगवार, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा की ग्राम सभा की संपत्ति है। खसरा/गाटा संख्या 742 (पुरानी परती) वाली भूमि ग्राम अगवार, पोस्ट अगवार, तहसील आगरा की ग्राम सभा की है और राजस्व अभिलेखों में भी यह राज्य की एत्मादपुर जिला संपत्ति के रूप में दर्ज है और यह खुली पड़ी है। वादग्रस्त सम्पत्ति की सही स्थिति और स्थान दर्शाने के लिए, वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा प्रस्तुत है, जो इस वाद का हिस्सा है और उक्त संपत्ति, जिसका खसरा/गाटा क्रमांक 742 है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को आगे वाद संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। वादपत्र के नक्शे में, वादग्रस्त संपत्ति को लाल रेखाओं से दर्शाया गया है, जिन पर अक्षर ए, बी, सी व डी लिखे हैं। उक्त वादग्रस्त संपत्ति ग्राम सभा की पूर्णतः संपत्ति है और खुली पड़ी है तथा वादी के घर के ठीक सामने है तथा इसका उपयोग सभी ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जा रहा है। प्रतिवादी गांव का अधिक प्रभावशाली व्यक्ति है और राजस्व अधिकारियों पर उसका काफी प्रभाव है तथा स्थानीय पुलिस के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। प्रतिवादी की बुरी नजर वादग्रस्त संपत्ति पर है और वह वादग्रस्त संपत्ति पर अतिक्रमण करना चाहता है तथा उक्त अवैध उद्देश्य के लिए प्रतिवादी ने फरवरी 2014 में वादग्रस्त संपत्ति पर निर्माण सामग्री एकत्र की है, इसलिए वादी ने

अपने पति के माध्यम से दिनांक 16.2.2014 को एत्मादपुर, आगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय पुलिस अधिकारी ने प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतिवादी को वाद संपत्ति से निर्माण सामग्री हटाने का निर्देश दिया और प्रतिवादी ने लिखित रूप में वाद संपत्ति से निर्माण सामग्री हटाने का आश्वासन भी दिया। उक्त आश्वासन के बावजूद प्रतिवादी ने वादग्रस्त संपत्ति से निर्माण सामग्री नहीं हटाई और दिनांक 17.02.2014 को उसने ग्राम सभा और रास्ते की भूमि को ढकते हुए वादग्रस्त संपत्ति पर नींव खोदना शुरू कर दिया, इसलिए सभी ग्रामीणों ने प्रतिवादी के इस अवैध कृत्य का विरोध किया और प्रतिवादी ने दिनांक 17.02.2014 को तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा के एस0डी0एम0 के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और उक्त शिकायत पर तहसील एत्मादपुर, आगरा के एस0डी0एम0 ने एत्मादपुर, आगरा के एस.ओ. को निर्देश दिया कि प्रतिवादी को वाद संपत्ति पर अवैध निर्माण करने से रोका जाए। पुलिस स्टेशन एत्मादपुर, आगरा और राजस्व प्राधिकरण, एस.डी.एम. तहसील एत्मादपुर, आगरा में इस मामले की सुनवाई हुई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ग्राम सभा की जमीन की रक्षा के लिए प्रतिवादी के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए वादी के पास इस मुकदमे को दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रतिवादी का कृत्य पूर्णतः अवैध है और यदि प्रतिवादी अपने अवैध उद्देश्य में सफल हो जाता है तो वादी और सभी ग्रामीण वादग्रस्त संपत्ति के सार्वजनिक उपयोग से वंचित हो जाएंगे और रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा तथा वादी सहित सभी ग्रामीणों को अपूरणीय क्षति और हानि होगी। वादी का मामला प्रथम दृष्टया और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है और यदि निषेधाज्ञा की मांगी गई राहत नहीं दी जाती है, तो वादी को अपूरणीय हानि होंगी और मुकदमा दायर करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

3. प्रतिवादीगण की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर आपत्ति 22ग मय शपथपत्र 23ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी को प्रतिनिधित्व के माध्यम से मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। उपर्युक्त भूमि प्रतिवादी की पैतृक भूमि है, ग्राम सभा की नहीं। वादी ने वर्ष 2014 में अवैध रूप से निर्माण कर लिया था और अब प्रतिवादी को परेशान करने के लिए यह मुकदमा दायर किया है। पुराना गाटा क्रमांक 743 प्रतिवादी का है और उक्त भूमि पर प्रतिवादी का पुराना निर्माण है। प्रतिवादी पुराने राजस्व अभिलेख प्रस्तुत कर रहा है, जो यह दर्शाते हैं कि यह भूमि प्रतिवादी की है। वादी ने गलत नक्शा प्रस्तुत किया है। उपरोक्त गाटा संख्या 743 प्रतिवादी की पुरानी संपत्ति है। उपर्युक्त भूमि ए, बी, सी, डी प्रतिवादी की है। वादी द्वारा दर्शाया गया सामने का हिस्सा भी वादी की संपत्ति नहीं है। वादी द्वारा कोई दस्तावेज या पट्टा दाखिल नहीं किया गया है। वादी ने दो कमरे अवैध रूप से बनाए हैं। उपर्युक्त संपत्ति ग्राम सभा की नहीं बल्कि प्रतिवादी

की है। प्रतिवादी एक 72 वर्षीय गरीब बुजुर्ग व्यक्ति है और राजस्व या स्थानीय पुलिस में उसका कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी का अपनी भूमि पर कब्जा है और उसने उस पर निर्माण कार्य किया है। प्रतिवादी ने अपना मकान अपनी भूमि पर बनाया है, न कि ग्राम सभा की भूमि पर। प्रतिवादी ने कभी भी किसी भी निर्माण को हटाने की बात स्वीकार नहीं की और न ही ऐसा करने का वादा किया, क्योंकि सभी निर्माण पहले से ही प्रतिवादी की अपनी भूमि पर मौजूद हैं। यह कथन अस्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी ने कभी भी कोई लिखित दस्तावेज दिया हो। एस.डी.एम., एत्मादपुर को दी गई शिकायत भी झूठी है। प्रतिवादी उपर्युक्त भूमि के पुराने स्वामित्व के कागजात दाखिल कर रहा है। वादी द्वारा दायर सभी शिकायतें फर्जी हैं, क्योंकि वह केवल अपने निर्माणों की रक्षा करना चाहती है। प्रतिवादी अपनी संपत्ति पर कब्जे में है। यह कहना गलत है कि किसी भी ग्रामीण को कोई समस्या है या किसी रास्ते को अवरुद्ध किया गया है। वादी ने सड़क किनारे की भूमि पर पहले ही अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिसके लिए उसके पास कोई स्वामित्व/पट्टा नहीं है और उसने प्रतिवादी को परेशान करने के लिए ही यह वाद दायर किया है। वादी का विवादित संपत्ति में कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं है। आदेश 1 नियम 8 के तहत दी गई अनुमति भी वापस ली जानी चाहिए। वादी के पास न तो कोई वाद–विवाद का आधार है और न ही वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई कारण है। प्रतिवादी के पूर्वज इसके स्वामी और कब्जेदार हैं। विवादित संपत्ति ग्राम सभा की नहीं बल्कि प्रतिवादीगण की है। वादी का वाद खारिज किया जाना चाहिए। प्रतिवादी प्रमाण स्वरूप राजस्व अभिलेख प्रस्तुत कर रहा है। वादी को ग्राम सभा को पक्षकार बनाए बिना ग्राम सभा की ओर से मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। वादी गृहिणी है और गांव अगवार में नहीं रहती है तथा अपने पति ओमकार सिंह के साथ रहती है तथा गांव अगवार में उसका कोई अधिकार, हक या हित नहीं है और पुराना गाटा नंबर 743 प्रतिवादी पूर्वज का है। आदेश 1 नियम 8 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति वापस लिये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किए जाने की याचना की गयी।

4. वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची 14ग से शिकायत प्रार्थनापत्र दिनांकित 16.02.2014 की छायाप्रति कागज संख्या 15ग/1, सुलहनामा की छायाप्रति कागज संख्या 15ग/2, शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.02.2014 कागज संख्या 15ग/3, शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.03.2014 की छायाप्रति कागज संख्या 15ग/4 लगायत 15ग/5, शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 04.03.2014 की छायाप्रति कागज संख्या

15ग/6 एवं तहसील दिवस की रसीद दिनांकित 04.3.2014 की छायाप्रति कागज संख्या 15ग/7 प्रस्तुत की गयी है।

5. प्रतिवादी की ओर से सूची 53ग से एक किता फोटोस्टेट खतौनी खाता संख्या 516 कागज संख्या 54ग/1 लगायत 2, एक किता फोटोस्टेट खतौनी संख्या 612 कागज संख्या 54ग/3 लगायत 4 एवं एक किता फोटोस्टेट खतौनी गाटा संख्या 742 कागज संख्या 54ग/5 प्रस्तुत की गयी है।

6. न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का श्रवण किया गया तथा पत्रावली एवं विधि के प्रावधानों का सम्यकरूपेण परिशीलन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के सन्दर्भ में न्यायालय को मुख्य रूप से 3 बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक होता हैः–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण
2. सुविधा संतुलन का बिन्दु
3. अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु

प्रथम दृष्टया प्रकरण–

7. सर्वप्रथम न्यायालय को यह देखना है कि वादी का प्रथम दृष्टया केस बनता है अथवा नहीं। प्रथम दृष्टया प्रकरण के सम्बन्ध में यदि विचार करें तो वादी पक्ष की ओर से वादपत्र में उक्त वाद गाटा संख्या 743 के संबंध में प्रस्तुत किया गया था, जो वादहू संशोधित कर गाटा संख्या 742 के रूप में अंकित किया गया। वादी द्वारा उक्त वाद गांव के सभी व्यक्तियों के हित में वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत किया गया एवं खसरा/गाटा संख्या 742 को ग्रामसभा की सम्पत्ति होने का कथन किया गया एवं यह भी कथन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा वादपत्र के नक्शे में वादग्रस्त सम्पत्ति, जिसे अक्षर ए,बी,सी,डी से दर्शाया गया है, वह ग्रम सभा की सम्पत्ति है, जो वादी के घर के ठीक सामने है, जिसे सभी ग्रमवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः अवैध है, जिससे सभी ग्रामवासी सम्पत्ति के सार्वजनिक उपयोग से वंचित हो जाएगे एवं रास्ता अवरूद्ध हो जाएगा। अतः स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गयी है।

8. वादी द्वारा सूची 14ग से दाखिल प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा दाखिल शिकायती प्रपत्र दिनांकित क्रमशः 16.02.2014, 17.02.2014, 01.03.2014 एवं 04.03.2014 सभी गाटा संख्या 743 के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं, न कि वादग्रस्त सम्पत्ति गाटा संख्या 742 के संबंध में। वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किये गये है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि विवादित सम्पत्ति गाटा

संख्या 742 ग्रमसभा की सम्पत्ति है एवं जिस पर ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है।

9. इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र कागज संख्या 50क के अवलोकन से भी विदित है कि राज्य सरकार द्वारा अपने लिखित कथन में यह अंकित किया गया है कि **"**राज्य सरकार द्वारा ग्रामवासियों को उनके निवास हेतु कब्जे वाली जगह की नापतौल कर मय नक्शे के स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास अभिलेख (धरौनी) प्रदान की गयी है, जिसके अनुसार प्रत्येक ग्रामीण का आवास का निर्धारण किसी भी संभावित विवाद से बचने हेतु कर दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ग्राम आवास अभिलेख में आंवटित भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि का उपयोग अवैध रूप से करता पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।**"** वादी द्वारा इस संबंध में भी कोई नोटिस राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि यह दर्शित करता हो कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ग्रामसभा की सम्पत्ति में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।

10. इसके अतिरिक्त पत्रावली में दाखिल अमीन आख्या कागज संख्या 19ग दिनांकित 23.07.2016 का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि अमीन द्वारा यह कथन किया गया है कि *''प्रतिवादी का मकान पक्का बना हुआ है। कमरा ए, बी, सी, डी नया बना है उसके सामने टिनशेड पड़ा है। वादी द्वारा अन्य कमरे का चबूतरा दौरान मुकदमा तैयार किया गया है। ये दोनो कमरे वादी ने ग्रामसभा की जमीन पर बना लिये है इसी प्रकार वादी के भाई उल्फत सिंह ने नया मकान ग्रामसभा की जमीन पर बना लिया है। ग्रामसभा वाली सम्पूर्ण जगह प्रतिवादी की पुश्तैनी जगह बतायी गयी है। स्थान ओ, पी, एम, एल, एन पर प्रतिवादी का पक्का मकान बना हुआ है। पशुओ की लड़ावनियां बनी है, खूटे गढ़े है, छप्पर रखे हैं। प्रतिवादी अपने परिवार सहित इसी मकान में निवास कर रहा है तथा गृहस्थी का सम्पूर्ण सामान है। वादपत्र में संलग्न नक्शानजरी वादग्रस्त सम्पत्ति स्थल पर मौजूद नहीं हैं।''* उक्त अमीन आख्या के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व से ही वादग्रस्त स्थल पर निवास करता आ रहा है। चूंकि अमीन आख्या अपने आप में मूल साक्ष्य नहीं है किन्तु पक्षकारो के कथनों को साबित करने हेतु सहायक प्रतीत होती है।

11. उपरोक्त किये गये विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा गाटा संख्या 742 के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेजी प्रपत्र पत्रावली में दाखिल नहीं किये गये है जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त गाटा संख्या 742 ग्राम सभा की सम्पत्ति है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सूची 53ग से खतौनी कागज संख्या 54ग दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित है कि गाटा संख्या 742 में आबादी एवं

निजी/व्यक्तिगत/पारिवारिक भवन उपस्थित होना दर्शित किया गया है, जिससे यह विदित होता है कि गाटा संख्या 742 में आबादी बसी है एवं घर बने हुए है। इसके अतिरिक्त जहां तक वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति में सार्वजनिक रास्ता है जिसपर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्माण कर रास्ता अवरूद्ध किया जा रहा है तो वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा कागज संख्या 9ए/5 के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त सम्पत्ति अक्षर ए, बी, सी, डी एवं वादी के मकान के पूरव में पर्याप्त रास्ता होना वादी द्वारा अंकित किया गया है, जो कि ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।

12. चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व से वादग्रस्त स्थल पर निवास करते चले आ रहे है एवं वादी द्वारा कोई भी दस्तावेजीय प्रपत्र गाटा संख्या 742 के सार्वजनिक सम्पत्ति होने के संबंध में दाखिल नहीं किया गया है, वादी प्रथम दृष्टया केस साबित करने में विफल रहा है। यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को वादी की अपेक्षा अधिक अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 12ग स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

<u>आदेश</u>

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 12ग वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा उपरोक्त निष्कर्षानुसार निरस्त किया जाता है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस आदेश का वाद के गुणदोष के आधार पर निस्तारण के सम्बन्ध में कोई प्रभाव न होगा। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3 व 4 दिनांक 01.09.2026 को पेश हो।

ह0

(हर्षिता सिंह–प्रथम)
सिविल जज (सी0डि0)/
त्वरित न्यायालय, आगरा।
जे0ओ0 कोड–UP3310

Digitally signed by HARSHITA SINGH
Date: 2026.08.12 16:14:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court